

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एक 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/1754

दिनांक 9 मई, 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007-08 से पूर्व में संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्रमांक	पत्र सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	74	श्री छावा दीरा बालिका पी.जी. महाविद्यालय	बगड, झुझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	134	सेन्ट साल्जर महिला महाविद्यालय	सिविल लाइन रोड, ताल कटोरा घौराहा, टोंक	म.द.स.विश्वविद्यालय अजमेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	268	महात्मा गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड साइंस, जयपुर	श्रीराम की नांगल, वाया वाटिका, टोंक रोड, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	109	रणधम्मौर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	जनपथ, पुष्प का बालाजी, सवाई माधोपुर	बोटा विश्वविद्यालय बोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	95	अकालक गल्स कॉलेज	बसंत विहार, तह.लाहपुरा, कोटा	बोटा विश्वविद्यालय कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	93	मरुधर महाविद्यालय	जोधपुर	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	87	महिला विधि महाविद्यालय	कमला नेहरू नगर, सूरसागर रोड, जोधपुर	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर	विधि
8	113	ग्रामीण महिला महाविद्यालय	शिवसिंहपुरा, पोस्ट कुंडली, वाया कटराथल, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
9	77	बानू लाल माखरिया कन्या महाविद्यालय	बगड, झुझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
10	88	महर्षि दधीचि महिला महाविद्यालय	मधुवन, हाउसिंग बोर्ड, बासनी, जोधपुर	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
11	28	आचार्य श्री नानेश समता महाविद्यालय	नानेश नगर, दाता, तह.कपासन, जिला चित्तौड़गढ़	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
12	106	रणधम्मौर डिजान महाविद्यालय	केन्द्रीय विद्यालय के सामने, बीगला, सवाईमाधोपुर	कोटा विश्वविद्यालय कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
13	17	श्री बाक विहारी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय	कामा, भरतपुर 321022	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
14	47	गार्गी कन्या महाविद्यालय	नोहर जिला हनुमानगढ़	बी.कानेर विश्वविद्यालय बी.कानेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
15	142	श्रीगणेश महाविद्यालय	मावली, उदयपुर	मं.हन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
16	3	आर्य मटे इन्टरनशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन	सूचना केन्द्र के पास, अजमेर 305001	म.द.स.विश्वविद्यालय अजमेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
17	85	राजस्थान कॉलेज	नया बस स्टैंड, चिडावा, झुझुनू	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
18	20	श्रीमती सुशीला देवी माधुर कन्या महाविद्यालय	महिला आश्रम, पथिक नगर, भीलवाड़ा- 311001	एन.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
19	105	रणधम्मौर विधि महाविद्यालय	केन्द्रीय विद्यालय के सामने, बीगला, सवाईमाधोपुर	कोटा विश्वविद्यालय कोटा	विधि

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन प्राप्त करने का दायित्व स्वयं संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

७८

4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।



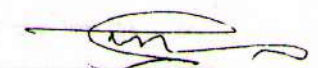
(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

दिनांक मई, 2007

क्रमांक: एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/

प्रतिरालिनि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- (i) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- (ii) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (iii) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- (iv) उप सचिव उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (v) कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ मा0 उच्च शिक्षा विभाग, अजमेर/ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/ जे0एन0व्यास10 विश्वविद्यालय, जोधपुर/ बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर/ एन0एल0एस0 विश्वविद्यालय, उदयपुर
- (vi) विशेषाधिकार उच्च शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (vii) जिला कलेक्टर, झुंझुनू/ टोक/ जयपुर/ रावईमाधोपुर/ कोटा/ जोधपुर/ सीकर/ चित्तौड़गढ़, भरतपुर/ हनुमानगढ़/ उदयपुर/ अजमेर/ भीलवाड़ा।
- (viii) सचिव, सम्बन्धीत महाविद्यालय।
- (ix) निजी सचिव आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- (x) सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- (xi) संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली।
- (xii) रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।